न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, जनपद—मेरठ (उ.प्र.)
विविध प्रार्थना-पत्र संख्या : 09 / 2026

CNR No.: UPME120001662026
(अन्तर्गत धारा 173(4), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

साहब सिंह बनाम श्रीमति प्रीति आदि

थाना : मवाना, जनपद—मेरठ

दिनांक : 10.03.2026

आवेदक के अधिवक्ता : श्री सोनू कुमार

---

1. आज पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी साहब सिंह द्वारा अधिवक्ता **श्री सोनू कुमार** के माध्यम से धारा **173(4) बी.एन.एस.एस., 2023** के अन्तर्गत थाना मवाना पर एफ.आई.आर. पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना-पत्र तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

2. प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी का कथन है कि वर्ष 2024 में उसने ग्राम भोगपुर, परगना किठौर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ स्थित **खाता संख्या 00027 के खसरा संख्या 6 मि०, रकबा 1.2650 हे० कृषि भूमि** को उसके कथित वास्तविक स्वामी **मग्गर सिंह पुत्र करतारे सिंह, जाति जाट सिख, निवासी ग्राम मिश्रीपुर, परगना किठौर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ, हाल निवासी ग्राम उपलाना, तहसील करनाल, जिला करनाल (हरियाणा)** से दिनांक **17.02.2024** को लगभग **Rs. 10,02,000/-** में विधिवत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया था। प्रार्थी का यह भी कथन है कि उक्त विक्रय के उपरान्त उसका **दाखिल-खारिज दिनांक 24.09.2024** को तहसीलदार मवाना द्वारा स्वीकृत कर दिया गया तथा राजस्व अभिलेख खतौनी में भी मग्गर सिंह के स्थान पर प्रार्थी का नाम **संक्रमणीय भूमिधर** के रूप में दर्ज हो गया, जिसके आधार पर वह उक्त कृषि भूमि पर बो-ज़ोत के रूप में काबिज चला आ रहा है। आगे प्रार्थी का कथन है कि दिनांक **08.01.2026** को प्रस्तावित अभियुक्त **रिफाकत पुत्र तरीकत निवासी ग्राम असीलपुर, थाना किठौर, जनपद मेरठ**, जो कथित रूप से खादर क्षेत्र का भू-माफिया है, ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर छलपूर्वक प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि को हड़पने के उद्देश्य से, यह जानते हुए कि उक्त भूमि पूर्व में वास्तविक स्वामी मग्गर सिंह द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विक्रय की जा चुकी है, फिर भी **फर्जी खतौनी तैयार कराकर तथा एक अन्य व्यक्ति को "मग्गर सिंह" के रूप में प्रस्तुत कर** प्रार्थी की भूमि का एक **कथित फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 08.01.2026** को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय मवाना में पंजीकृत करा दिया। प्रार्थी के अनुसार उक्त विक्रय पत्र **बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11873, पृष्ठ संख्या 79 से 94, क्रमांक 594** पर पंजीकृत है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि उक्त फर्जी व्यक्ति की पहचान अभियुक्त **रिफाकत** तथा **चरण सिंह पुत्र मग्गा सिंह निवासी 202 हंसा, थाना छेसा, जिला फरीदाबाद (हरियाणा)** द्वारा करायी गयी तथा अभियुक्त रिफाकत से साजिश कर **श्रीमति प्रीति पत्नी मुकेश निवासी ग्राम इनायतपुर, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़** ने उक्त कथित फर्जी बैनामा अपने नाम करा लिया। प्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रीति के पति **मुकेश पुत्र धर्मेन्द्र** ने भी अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त भूमि उन्होंने खरीद ली है और प्रार्थी को उसका कब्जा छोड़ देना चाहिए, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रार्थी का यह भी कथन है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में उसने दिनांक **30.01.2026** को थाना मवाना पर लिखित प्रार्थना-पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, किन्तु पुलिस द्वारा यह कहते हुए कोई कार्यवाही नहीं की गयी कि वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना-पत्र दे। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा उसी दिन **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर जांच हेतु एक **पीली पर्ची** जारी कर दी गयी, तथापि उसके बाद भी उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी। प्रार्थी का कथन है कि उक्त परिस्थितियों में न्याय की अपेक्षा से उसने माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है और निवेदन किया है कि न्यायहित में उसके प्रार्थना-पत्र के आधार पर **थानाध्यक्ष, थाना मवाना को प्राथमिकी पंजीकृत कर विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाये।**

3. प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये हैं
(i) विक्रय पत्र दिनांक **17.02.2024** की प्रमाणित प्रति (प्रार्थी के पक्ष में),
(ii) विक्रय पत्र दिनांक **08.01.2026** की प्रमाणित प्रति (श्रीमति प्रीति के पक्ष में),
(iii) फर्द खतौनी दिनांक **29.01.2026**,

(iv) थाना मवाना को दिया गया प्रार्थना-पत्र,
(v) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को दिया गया प्रार्थना-पत्र एवं जांच पर्ची,
(vi) दाखिल-खारिज आदेश दिनांक **24.09.2024** की छायाप्रति।

4. प्रार्थना-पत्र पर थाना मवाना से आख्या आहूत की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त तथ्यों के संबंध में थाना मवाना पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना-पत्र, संलग्न दस्तावेजों तथा प्रार्थी के कथनों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा विवादित कृषि भूमि **खाता संख्या 00027, खसरा संख्या 6 मि०, रकबा 1.2650 हे०, स्थित ग्राम भोगपुर, परगना किठौर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ** को दिनांक **17.02.2024** के पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किये जाने का कथन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह भी दर्शित किया गया है कि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर **तहसीलदार, मवाना द्वारा दिनांक 24.09.2024 को नामान्तरण संबंधी आदेश पारित किये जाने का उल्लेख किया गया है**, जिसके अनुपालन में प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर दाखिल **खतौनी फसली वर्ष 1426-1431** से प्रथमदृष्टया यह परिलक्षित होता है कि उक्त भूमि के संबंध में **खसरा संख्या 6 मि०, रकबा 1.2650 हे०** पर प्रार्थी **साहब सिंह पुत्र सतनाम सिंह** का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित दर्शाया गया है। तथापि, उक्त अभिलेखों की अंतिम सत्यता, वैधता एवं प्रभाव का परीक्षण विवेचना के दौरान संबंधित अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत ही किया जाना अपेक्षित होगा।

6. प्रार्थी का आरोप है कि उपर्युक्त परिस्थितियों के बावजूद बाद में किसी अन्य व्यक्ति को कथित रूप से वास्तविक विक्रेता के रूप में प्रस्तुत कर उसी भूमि के संबंध में दिनांक **08.01.2026** को एक अन्य विक्रय पत्र पंजीकृत करा लिया गया। प्रार्थी के अनुसार उक्त प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों के निर्माण, उनके उपयोग तथा संबंधित व्यक्तियों के मध्य आपसी साजिश की भूमिका रही है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दोनों विक्रय पत्रों के अवलोकन से यह भी प्रथमदृष्टया परिलक्षित होता है कि विक्रेता के रूप में अंकित **मग्गर सिंह पुत्र करतारे** के संबंध में दोनों विक्रय पत्रों पर अंकित फोटोग्राफ में भिन्नता प्रतीत होती है। तथापि उक्त तथ्य का सत्यापन, संबंधित अभिलेखों के परीक्षण तथा आवश्यक साक्ष्य के संकलन के माध्यम से ही संभव है, जो विवेचना की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है।

8. यह भी दृष्टिगत है कि प्रस्तुत प्रकरण में एक ही संपत्ति के संबंध में एकाधिक विक्रय पत्रों का प्रश्न, कथित वास्तविक विक्रेता की पहचान, पंजीयन अभिलेखों की प्रामाणिकता, पहचान कराने वाले व्यक्तियों की भूमिका तथा संबंधित व्यक्तियों के मध्य संभावित षड्यंत्र जैसे तथ्य विवादित रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसे पहलुओं की वस्तुनिष्ठ जांच, आवश्यक अभिलेखों का संकलन, पंजीयन अभिलेखों का परीक्षण तथा संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ जैसी कार्यवाही सामान्यतः विवेचना की प्रक्रिया के माध्यम से ही प्रभावी रूप से संभव होती है।

9. पत्रावली से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त घटना के संबंध में थाना स्तर पर तथा तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी शिकायत प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है, तथापि अब तक किसी अभियोग के पंजीकरण का अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थना-पत्र में लगाए गये आरोपों के परीक्षण हेतु विधि के अनुसार विवेचना कराया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा **173(4) बी.एन.एस.एस., 2023** के अंतर्गत विचारणीय है।

आदेश

अतः, उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में **धारा 173(4) बी.एन.एस.एस., 2023** के अन्तर्गत प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।**प्रभारी निरीक्षक, थाना मवाना, जनपद—मेरठ** को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर विधि अनुसार उपयुक्त धाराओं में **एफ.आई.आर. पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ करें** तथा की गयी कार्यवाही से **07 दिवस के भीतर इस न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।**यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गयी टिप्पणियाँ एवं अवलोकन केवल **पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथमदृष्टया दृष्टिकोण** से किये गये हैं, जिनका उद्देश्य केवल यह परीक्षण करना है कि प्रकरण विवेचना हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं। इन टिप्पणियों को प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अंतिम अभिमत नहीं माना जायेगा।विवेचक इस आदेश में व्यक्त किसी भी अवलोकन से बंधित नहीं

होगा तथा वह **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विधि के अनुसार विवेचना** कर साक्ष्यों के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 10.03.2026

(प्रशान्त मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना
जनपद—मेरठ (उ.प्र.)
(J.O. Code : UP3377)